Serial No. 6983 Circle:-:NA 1 Book No. :- 4 Deed No. 42

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR डॉ० मो० शफीक आलम पिता- मो० सिद्दीक सा०- लाईन बाजार पूर्णियाँ थाना - के० हाट जिला - पूर्णियाँ वास्ते - ट्रस्ट डीड

Serial No. 6983

AF 931882

Deed No. 42

09-04-2021

AMRENDRA YADAV
Stamp Vender, Purnea
L.No-229/95

2 8 MAR 2021

10000/ = 1000/

बिहार सरकार

जिला निबंधन कार्यालय, पूर्णियाँ सदर

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **10/04/2021** को **Md Shafique Alam Dr.** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमे रू0 **11000** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **2500** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 **42** के रूप में पुस्तक सं0 **4** की जिल्द सं0 **1** के पृष्ठ सं0 **444** से **452** तक **CD 1** में आज निबंधित एवं कुल **9** पृष्ठों में संधारित किया गया ।

उमलेश प्रसाद सिंह
निबंधन पदाधिकारी

दिनांक- **10/04/2021** टोकन नं. 7147 / 2021

प्रभारी लिपिक

न्यास-विलेख

"सहारा वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट"

इस न्यास (ट्रस्ट) के अध्यक्ष डॉ0 मो0 शफीक आलम पिता स्व0 मो0 सिद्दीक, साकिन लाईन बाजार पूर्णियाँ थाना खजाँची हाट सहायक

संस्थापक का हस्ताक्षर

10.04.2021

District Registry Office,Purnea Sadar

Token Number 7147 | Reg. Year 2021 | Serial Number 6983 | Deed Number 42

PresType	Name	Photo / Thumb / Index / Middle / Ring / Little
Presented By	Md Shafique Alam Dr. Sig. Md Shafique Alam 10.4.2021	
	Md Shafique Alam Dr. Sig. Md Shafique Alam 10.4.2021	
Trustee	Jeenat Rasul Sig. Zeenat Rasul 10.4.2021	
Trustee	Keshri Khatoon Sig. केसरी खातून 10.4.2021	
Trustee	Maksud Alam Sig. 10.4.2021	
Trustee	Mallik Mohammad Azam Sig. M.M.Azam 10.4.2021	
Trustee	Md. Shafique Alam Dr. Sig. Md Shafique Alam 10.4.2021	
Trustee	Noor Fatma Sig. Noor Fatma 10.4.2021	

SCORE Ver.4.0 | Powered by IL&FS Technologies Ltd. | Biometric Captured By 3900sop029

Md Shafique Alam

10.04.2021

जिला पूर्णिया है जिन्होंने दिनांक 07/03/2019 ई0 को ही न्यास की स्थापना कर ली है। जिसका नाम 'सहारा वेलफेयर सोसाइटी (ट्रस्ट) है। न्यास का पंजीकरण भी दिनांक 08/03/2019 को ही करा लिया गया है जिसका डी0 सं0–36 है। संस्थापक/अध्यक्ष डॉ0 मो0 शफीक आलम के द्वारा न्यास के कोष में 1,00,000/–एक लाख रूपये की राशि दान स्वरूप जमा की जा चुकी है। अध्यक्ष डॉ0 मो0 शफीक आलम आजीवन न्यास के अध्यक्ष होंगे और इनका निर्णय सर्वोपरि एवं सर्वमान्य होगा। अध्यक्ष के रूप में वे स्वयं या इनके द्वारा मनोनीत या अधिकृत न्यासी भी अध्यक्ष के रूप में काम कर सकेंगे। इसके अतिरिक्ति उनके द्वारा आवश्यकतानुसार प्रशासक, कार्यान्वयक, प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी आदि का भी मनोनयन किया जा सकेगा। संस्था में विभिन्न पदों की रिक्ति को अध्यक्ष/प्रबंधक न्यासी द्वारा भरा जाएगा। प्रबंधक न्यासी ट्रस्ट संबंधी कार्यों एवं अन्य सेवाओं के लिए ट्रस्ट फंड से किसी प्रकार का वेतन–भत्ता नहीं लेंगे परन्तु अन्य न्यासियों को ट्रस्ट के विभिन्न कार्यों में किए गए व्यय आदि का भुगतान उन्हें ट्रस्ट फंड से किया जा सकेगा।

इस संस्था का उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्व में कराए गए पंजीकरण संबंधी दस्तावेज में अंकित किया जा चुका है परन्तु कुछ अन्य मद व पूर्ण तथ्य एवं बिन्दुओं का उल्लेख उसमें नहीं किया जा सका है। जिसके अनुसरण में यह दस्तावेज बनाया गया जो पूर्व के दस्तावेज का अहम हिस्सा एवं उसका पूरक होगा।

सहारा वेलफेयर सोसाइटी के विभिन्न कार्यकलापों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (Board of Trustees) होगा। बोर्ड में निम्नांकित न्यासी होंगे और अध्यक्ष डॉ0 मो0 शफीक आलम, प्रबंधक न्यासी (Managing Trustee) होंगे।

1. **डा0. मो0. शफीक आलम** पिता– मो0. सिद्दिक पेशा– चिकित्सक निवास स्थान–लाईन बाजार पूर्णिया, थाना– के0 हाट, जिला– पूर्णिया (बिहार) आधार– 3332 2833 6686 **पद– अध्यक्ष, प्रबंधक एवं संस्थापक,**

2. **जीनत रसूल,** पति–डॉ0 मो0 शफीक आलम, पेशा– समाज सेवा, निवास स्थान– लाईन बाजार पूर्णिया, थाना– के0 हाट, जिला– पूर्णिया (बिहार) आधार– 8749 3127 8732 **पद–ट्रस्टी**

3. **मो0. मकसूद आलम,** पिता– मो0. सफरूद्दीन पेशा– खेती, निवास स्थान – मोहना, पोस्ट– चौकी हरिपुर, अंचल– कदवा, जिला– कटिहार, आधार 6340 4372 9888 **पद– ट्रस्टी**

संस्थापक का हस्ताक्षर

District Registry Office,Purnea Sadar

Token Number 7147 | Reg. Year 2021 | Serial Number 6983 | Deed Number 42

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Trustee	Rupak Kumar						
Identified By	Md. Kashif Anwar						

Sig. Rupak Kumar
10.4.2021

Sig. मो० काशिफ अनवर
10.4.2021

SCORE Ver.4.0 Powered by IL&FS Technologies Ltd. Biometric Captured By 3900sop029

10.04.2021

4. **मल्लिक मोहम्मद अजाम** पिता– स्व0 सिदिक, पेशा– समाज सेवी निवास स्थान– मोहना, पोस्ट– चौकी हरिपुर, जिला– कटिहार (बिहार) आधार–2672 2534 7057 **पद– ट्रस्टी**

5. **केशरी खातुन**, पिता– मो0.मलिक समसुद्दीन पेशा– समाज सेवी, निवास स्थान – मोहना, पोस्ट– चौकी हरिपुर, अंचल– कदवा, जिला– कटिहार, आधार 2985 8186 6266 **पद– ट्रस्टी**

6. **रूपक कुमार**, पिता– सुरेन्द्र नाथ वर्मा, पेशा– समाज सेवी, निवास स्थान – सिपाही टोला चूनापुर रोड, थाना– के0 हाट, अंचल– पूर्णियाँ पूर्व, जिला– पूर्णियाँ (बिहार) आधार– 6467 4848 9703 **पद– ट्रस्टी**

7. **नूर फातमा,** पति–मल्लिक मोहम्मद अजाम, पेशा– समाज सेवी, निवास स्थान– मोहना, पोस्ट– चौकी हरिपुर, जिला– कटिहार (बिहार) आधार– 8408 4282 0052 **पद– ट्रस्टी**

प्रबंधक न्यासी के पद त्याग करने अथवा किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में प्रबंधक न्यासी को इस पद पर न्यासियों में से किसी को मनोनीज करने का अधिकार होगा।

1) संस्था की आय के साधन (Sources of Income of the Trust)
संस्था की आय का स्रोत निम्नांकित होगा।

क) सदस्यता शुल्क, दान में दी गई राशि या सम्पत्ति।

ख) लाभ, लाभांश, किराया, बैंक सूद आदि से होने वाली आय

ग) उपहारस्वरूप दी गई राशि या सम्पत्ति।

घ) विशेष परिस्थिति में किसी महत्वपूर्ण कार्य के निष्पादन हेतु आम जनता से विशेष आग्रह एवं अपील के माध्यम से भी राशि संग्रह की जा सकेगी।

2) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अधिकार (Power of the Board of Trustees)

क) बोर्ड के पास, संस्था या उसके अधीन चलाए जा रहे संस्थानों के कार्यकलापों की देखरेख, उसका उचित प्रबंधन तथा संस्था की समस्त सम्पत्तियों, राशि आदि की देखरेख करने की शक्ति और अधिकार होगा। संस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक सभी प्रभावी उपाय करने का अधिकार होगा।

संस्थापक का हस्ताक्षर

ख) बैंक खाता खोलवाने, उसे संचालित करने, तथा उसके रख–रखाव का बोर्ड को अधिकार होगा।

ग) किसी के साथ कोई अनुबंध या एकरारनामा करने या किसी प्रकार की सहमति बनाने अथवा उसे बदलने, संशोधन करने या निरस्त करने का बोर्ड को अधिकार होगा।

घ) कर्मचारियों की नियुक्ति, उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी करने, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने अथवा उन्हें निलंबित या बर्खास्त आदि करने का अधिकार होगा।

च) न्यासी बार्ड के पास संस्था की ओर से सभी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने, अभियोग या किसी भी कानूनी कार्रवाई का बचाव करने का अधिकार होगा।

छ) समय–समय पर संस्था द्वारा घोषित लाभ, लाभांश आदि के लिए पात्रता आदि करने का अधिकार होगा।

ज) संस्था के अधीन चल रहे कार्यक्रमों, परियोजनाओं एवं अन्य कार्यकलापों का आकलन, पर्यवेक्षण कार्यान्वयन, निरीक्षण आदि का अधिकार होगा।

झ) संस्था द्वारा कराए जाने वाले कार्यों एवं परियोजनाओं को चयनित कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करने तथा समय–समय पर उसे आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का कार्य संचालन

क) आवश्यकतानुसार बोर्ड की बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है परन्तु सामान्यतः वर्ष में दो या तीन बार बोर्ड की बैठक होगी।

ख) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही विस्तृत रूप से कार्यवाही पुस्तिका में अंकित की जायेगी।

ग) बोर्ड की बैठक के लिए एवं सामान्य प्रकृति के प्रस्तावों को पारित करने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त होगा।

घ) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कम से कम चार या अधिकतम सात सदस्य होंगे।

कार्यालय जिला निबंधक पूर्णियाँ

संस्थापक का हस्ताक्षर

प्रबंधक न्यासी के अधिकार

क) न्यास के सभी कार्यकलापों को सुचारू रूप से संचालित रखने, उसके प्रबंधन तथा न्यास की सभी सम्पत्तियों आदि की देखरेख का प्रबंधन न्यासी को पूर्ण अधिकार होगा।

ख) हर प्रकार के लेख अभिलेख, घोषण–पत्र, हल्फनामा, Return आदि पर प्रबंधक न्यासी का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

ग) प्रबंधक न्यायाी बैंक से संबंधित सभी कार्य करेंगे।

घ) कर्मचारियों का चयन, नियुक्ति, प्रोन्नति स्थानान्तरण, प्रतिनियोजन, निलम्बन, कारण बताओ नोटिस, पदमुक्ति अथवा बर्खास्तगी संबंधी सभी अधिकार प्रबंधक न्यासी का होगा।

च) हर स्तर पर जैसे न्यायालय विभिन्न सरकारी विभागों, प्रतिष्ठानों संस्थानों आदि के समक्ष न्यास की ओर से प्रतिनिधित्व करने और पक्ष रखने का अधिकार होगा।

छ) प्रबंधक न्यासी अपने सभी कार्यो एंव दायित्वों के निर्वाह हेतु कार्य व्यवस्था अथवा किसी अन्य कारण से अपने स्थान पर किसी अन्य न्यासी को अधिकृत अथवा प्रतिनियुक्त कर सकेंगे।

ज) विभिन्न न्यासियों के बीच कार्य सम्पादन हेतु कार्यो का बंटवारा भी कर सकेंगे

नियमों एवं उपनियमों का निर्धारण

न्यासी, न्यास एवं अधिनस्त संस्थानों से संबंधित कार्यों के सम्पादन, प्रबंधन, सम्पत्तियों की देखरेख, विभिन्न समवर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्त्तों के संबंध में उचित नियम एवं उपनियम बना सकेंगे तथा आवश्यकतानुसार समय–समय पर उसमें संशोधन कर सकेंगे या नए नियम भी बना सकेंगे।

लेखा संधारण

न्यासी न्यास संबंधी सभी आय एवं व्यय का लेखा प्रतिदिन नियमित रूप से संधारित करेंगे और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को उसे बंद करेंगे। संस्था तथा सभी सम्पत्तियों, रसीदों, प्राप्तियों, देनदारियों निपटारों तथा सभी बैठकों एवं उसमें लिए गए निर्णयों का सही–सही लेखा–जोखा रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष Chartered Accountant से लेखाओं का Audit कराया जाएगा।

संस्थापक का हस्ताक्षर

क़ानूनी कार्यवाही (Legal Proceeding)

प्रबंधक न्यासी को संस्था की सभी कानूनी मामलों में आवश्यक एवं उचित कदम उठाने एवं कार्रवाई करने का अधिकार होगा। संस्था के सभी संस्थानों सम्पत्तियों एवं कोष के बचाव एवं हित में उचित कदम उठाने का अधिकार होगा। ऐसे मामलों में दूसरे न्यासियों का शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा।

हानिरहित (Indemnity)

किसी भी न्यासी द्वारा अपने अधिकार सीमा में रहकर संस्था को लाभ पहुँचाने के उद्येश्य से किसी भी उचित काम के लिए किए गए न्यासी हानिरहित माने जाएँगे।

संशोधन (Amendments)

न्यासियों को यह अधिकार होगा कि संस्था की ट्रस्ट डीड में तीन चौथाई बहुमत से कोई आवश्यक संशोधन या सुधार कर सकेंगे परन्तु यह ध यान रखा जाएगा कि आयकर की धाराओं 29 (15), 11, 12 और 80 G का उल्लंघन नहीं हो। आयकर आयुक्त की बिना पूर्वानुमति के यह संशोधन नहीं किया जाएगा।

आय का उपयोग (Utilisation of Income)

न्यास की धनराशि तथा आय को केवल न्यास से संबंधित कार्यों एवं न्यास के उद्येश्यों की पूर्ति के लिए खर्च किया जाएगा। न्यास की राशि व किसी भी परिस्थिति में न्यासियों को लाभ, लाभांश अथवा सूद के रूप में भुगतान नहीं किया जाएगा।

सदस्यता की समाप्ति

किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि

क) सदस्य स्वयं त्यागपत्र दे दें।

ख) वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए।

ग) वह संस्था के लक्ष्य एवं उद्येश्यों को बाधित करने का प्रयास करे।

घ) संस्था के नियमों का उल्लंघन करे।

च) अध्यक्ष या बोर्ड के द्वारा उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाए।

संस्थापक का हस्ताक्षर

विघटन (Dissolution)

इस संस्था न्यास का अन्यथा विघटन नहीं होगा। परन्तु यदि कभी ऐसा लगे कि न्यास अपने उद्येश्यों की पूर्ति में सक्षम नहीं हो पा रही है या किसी पारित प्रस्ताव से इसे विघटित किया जा सकेगा। वैसी स्थिति में संस्था की सभी चल–अचल सम्पत्तियों, नकद राशि एवं सभी देनदारियों को प्रबंधक न्यासी को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा।

व्याख्या

संस्था के दस्तावेज नियमों एवं उपनियमों की व्याख्या न्यासी बोर्ड द्वारा ही की जाएगी। उनके द्वारा की गई व्याख्या अंतिम एवं सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

जिसके साक्षी यहा संस्थापक और न्यासी हैं जिन्होंने उपर अंकित तिथि, महीना, वर्ष में देखा और अपना–अपना हाथ बढ़ाया।

पहचान
मो० काशिफ अनवर
पिता- मो० हाशिम
पता - बलवा
थाना - जलालगढ़
जिला - पूर्णियाँ

Noor Fatma
10.04.2021

गवाह
ललन कु० भार्गव
सदानंद प्र० भार्गव
कुल्ही कला
के० 101
पूर्णियाँ

कार्यालय जिला निबंधक पूर्णियाँ

Md Shafique
10.04.2021

Endorsement of Certificate of Admissibility

...ssible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the ...an Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 11000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 5000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 8500/-

Registration Fee

FEE PAID										
A1	2000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	2000

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	250
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - **2250**

Registering Officer
Purnea
Sadar

Date: 10/04/2021

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Purnea Sadar on Saturday, 10th April 2021 by Md Shafique Alam Dr. Late. Md Siddik by profession Others. Status -

Md Shafique Alam 10.4.2021

Signature/L.T.I of Presentant **Date:10/04/2021**

Registering Officer
Purnea Sadar

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and identified by the person (Identified by 'Md. Kashif Anwar ' age '23' Sex 'M', 'Md. Hasim ', resident of Barwa Ps-Jalalgadh Dist-Purnea'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 10/04/2021

Registering Officer
Purnea Sadar

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Purnea Sadar in Book 4 Volume No. 1 on pages on 444 -452, for the year 2021 and stored in CD volume No. CD-1 year 2021 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 10/04/2021

Registering Officer
Purnea Sadar

Token No. : 7147 Year : 2021 S.No. : 6983 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 42

Scanned by me
D. Op.

INDIA NON JUDICIAL

Government of Bihar

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-BR19680251388704T
Certificate Issued Date	:	09-Apr-2021 01:51 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ brshcil01/ PURNEA SRO/ BR-PUR/ PRN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-BRBRSHCIL0125437540468450T
Purchased by	:	DR MD SHAFIQUE ALAM
Description of Document	:	Article 64 Trust
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	DR MD SHAFIQUE ALAM
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	DR MD SHAFIQUE ALAM
Stamp Duty Paid (Rs.)	:	6,000(Six Thousand only)
Reg. fee (Rs.)	:	2,000 (Two Thousand only)
LLR & P Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Miscellaneous Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Discore SC (Rs.)	:	500 (Five Hundred only)
Total Amount (Rs.)	:	8,500 (Eight Thousand Five Hundred only)

SHCIL SRO PURNEA

Md Shafique 10.04.2021

कार्यालय जिला निबंधन पूर्णिया

Do not write or type below this line

LB 0016528456

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.